न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 120 / 2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
देवाराम गोदपुत्र पुराराम जाति सिरवी निवासी ईसाली तहसील मारवाड जंक्शन जिला पाली		1– प्रकाश पुत्र रमेशचन्द्र 2– केसाराम उर्फ किशोर पुत्र रमेशचन्द्र जाति सिरवी निवासी ईसाली तहसील मारवाड जंक्शन, जिला पाली 3– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार मारवाड जंक्शन 4– ग्राम पंचायत ईसाली जरिये सरपंच तहसील मारवाड जंक्शन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश दिनांक 12–7–2016 जिसे उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा राजस्व अपील संख्या 16 / 2015 अन्वान देवाराम बनाम प्रकाश वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1– श्री सुगनमल, सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 3 की ओर से ।
3– शेष रेस्पो0 संख्या 1, 2 एवं 4 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांक 19–5–2022

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम ईसाली तहसील पाली के नामांतरकरण संख्या 558 मे वर्णित भूमि के सहखातेदार पूरा पुत्र दौला के फोत होने पर उसके हिस्से की भूमि वारिसान के रूप मे रमेशचन्द्र पुत्र पूरा (अपीलांट देवा के प्राकृतिक पिता) के नाम दर्ज करते हुए नामांतरकरण संख्या 558 सरपंच ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा दिनांक 11–10–95 को स्वीकृत किया गया । उक्त नामांतरकरण संख्या 558 की जानकारी होने पर वर्तमान अपीलांट देवाराम गोदी पुत्र पुराराम जाति सिरवी ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मारवाड जंक्शन के समक्ष नामांतरकरण संख्या 558 के विरूद्ध धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रथम अपील प्रस्तुत की, जिसमे कथन किया कि अपीलांट नामांतरकरण संख्या 558 मे वर्णित भूमि के खातेदार पूरा का गोदीपुत्र है तथा अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध गोदनामा दिनांक 27–2–1973 का होते हुए अपीलांट देवाराम के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र जो वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 के भी पिता है, ने अपने आप को पूरा का गोदपुत्र बताकर उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 558 पारित करवा दिया, जिसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन ने उनके न्यायालय मे विचाराधीन अपील को राजस्व लोक अदालत फोलोअप केम्प आउवा मे ले जाकर अपीलांट को सुने बिना अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–7–2016 को पारित कर दिया जिसमे यह विवेचन देते हुए कि मृतक पुरा के उतराधिकारी तय करने का अधिकार सिविल न्यायालय को होने एवं इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र से परे होना तथा अपीलांट की अपील को मयाद बाहर

मानकर खारीज कर दी गई । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय दिनांक 12–7–2016 से व्यथित होकर अपीलांट ने वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष दिनांक 24–11–2016 को प्रस्तुत की है ।

वकील अपीलांट एवं राजकीय अधिवक्ता उपस्थित । शेष रेस्पो0 बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि पत्रावली न्यायालय मे विचाराधीन थी जिसमे अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता पैरवी कर रहे थे परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली को केम्प कोर्ट मे ले जाकर एकतरफा अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया जबकि केम्प मे पत्रावली को रखने की सूचना अपीलांट अथवा उनके अधिवक्ता को दिये बिना ही अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलांट को उनके अधिवक्ता द्वारा दूरभाष पर देने पर अपीलांट ने तुरंत अपीलाधीन आदेश की नकल प्राप्त कर बिना विलंब के अपील प्रस्तुत कर दी थी इसलिए इस न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने मे हुई देरी को कण्डोन करते हुए अपीलांट की उक्त अपील अंदर मयाद सुमार करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अपीलांट स्व0 खातेदार पूरा का गोदी पुत्र है तथा कथन किया कि खातेदार पूरा ने अपने जीवनकाल मे अपीलांट को 6 वर्ष की उम्र मे गोद लिया था तथा अपीलांट के पक्ष मे गोदनामे का दस्तावेज दिनांक 27–2–1973 को पंजीबद्धसुदा है तथा उक्त गोदनामे मे पुरा व अपीलांट के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र स्वयं के द्वारा अपीलांट देवाराम को गोद लेना व देना स्वीकार किया गया था तथा अपीलांट के पक्ष मे निष्पादित गोदनामे पर अपीलांट के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र स्वयं के हस्ताक्षर है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि खातेदार पूरा के मृत्यु के समय अपीलांट को पाग बंधाई गई तथा खातेदार पूरा की मृत्यु के बाद अपीलांट देवा द्वारा ही मृत पूरा के पुत्र की हैसियत से तमाम सामाजिक कियाकम सम्पन्न किये गये परंतु अपीलांट देवाराम के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र ने अपने आप को पूरा का पुत्र बताकर उक्त अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 558 पारित करवा दिया जबकि रमेशचन्द्र के पिता का नाम नवलाजी था।

वकील अपीलांट ने अपनीं बहस मे एक कानूनी बिन्दु यह भी प्रकट किया कि अपीलांट के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र जो कि नवलाजी का एकमात्र पुत्र था, नवलाजी के रमेशचन्द्र के अलावा कोई जायंदा संतान नही थी इस कारण से भी कानूनन रमेशचन्द्र मृत खातेदार पूरा का गोदी पुत्र नही हो सकता । फिर भी नामांतरकरण संख्या 558 बिना किसी दस्तावेज के मृत खातेदार पूरा के गोदीपुत्र की हैसियत से रमेशचन्द्र के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली मे रमेशचन्द्र के स्व0 खातेदार पुरा के गोद होने बाबत कोई दस्तावेज

उपलब्ध नही होते हुए केवल रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब मे लिखे गये कथनो को सही मानकर अपीलांट की अपील को खारीज करने बाबत अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया जबकि अपीलांट देवा के पक्ष मे रजिस्टर्ड गोदनामे का दस्तावेज रेकर्ड पर था फ़िर भी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट की अपील को खारीज करने बाबत पारित आदेश विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–7–2016 तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 558 निरस्त कर अपीलांट के पक्ष मे रजिस्टर्ड गोदनामें के दस्तावेज के अनुसार नामांतरकरण दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2011 (2) पेज 770 एवं आर.आर.डी. 2018 पेज 509 की निर्णय नजीरें पेश की ।

उपस्थित राजकीय अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित किये गये निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अपीलांट अपने आप को मृत खातेदार पुरा का गोदपुत्र होना बताते हुए गोदनामे के आधार पर नामांतरकरण दर्ज करने का निवेदन किया जबकि उतराधिकार एवं गोदपुत्र संबंधी जटिल प्रश्न को तय करने का अधिकार केवल सिविल न्यायालय को ही होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे जो विवेचन देते हुए अपीलांट की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–7–2016, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 558 एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 27–2–73 के दस्तावेज की छायाप्रति तथा वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत जवाब आदि का तथा अपीलांट अधिवक्ता द्वारा उनकी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी अवलोकन एवं अध्ययन किया ।

अपीलांट ने वर्तमान अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12–7–2016 के विरूद्ध इस न्यायालय मे दिनांक 24–11–2016 को प्रस्तुत की है जिसमे हुए विलंब का कारण अपीलाधीन आदेश अपीलांट को सुने बिना पत्रावली को केम्प मे रखकर एकतरफा आदेश पारित किया हुआ होने से केम्प समाप्ति के बाद अपीलांट को उनके अधिवक्ता द्वारा सूचित करने पर उक्त अपीलाधीन आदेश की जानकारी अपीलांट को होना बताया है, जो सद्भाविक कारण होने से अपीलांट की उक्त अपील को अंदर मयाद सुमार किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे अपीलांट देवा के पक्ष मे मृत खातेदार पूरा पुत्र दौलाजी द्वारा निष्पादित रजिस्टर्ड गोदनामे के दस्तावेज मे अपीलाधीन भूमि के बारे मे इस प्रकार स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि ''मेरे नाम की मौजा ईसाली के रेकर्ड मे दर्ज खातेदारी की भूमि का दाखिल खारीज देवा के नाम करा ले जिसमे उसे किसी प्रकार का उजर नही होगा।'' अपीलांट देवा के पक्ष मे निष्पादित गोदनामे का दस्तावेज दिनांक

27–2–73 को उप पंजीयन अधिकारी खारची के कार्यालय मे पंजीबद्ध सुदा है तथा उक्त गोदनामे के दस्तावेज पर अपीलांट् देवा के प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र स्वयं ने अपीलांट देवा को मृत खातेदार पूरा के गोद देना स्वीकार किया है तथा उस गोदनामे के दस्तावेज पर रमेशचन्द्र स्वयं के सहमति के हस्ताक्षर है तथा अपीलांट के पक्ष मे पंजीबद्ध गोदनामे का दस्तावेज अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध होते हुए उसे नजरअंदाज करते हुए जो अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अपीलाधीन नामांतरकरण संख्या 558 खातेदार पूरा वल्द दौला के फोत होने पर उसके हिस्से की खातेदारी भूमि का नामांतरकरण उसके वारिसान के नाम भरना बताते हुए रमेशचन्द्र पुत्र पूरा के नाम स्वीकृत किया गया है जबकि रमेशचन्द्र के पिता का नाम तो नवला था परंतु इस तथ्य पर गौर किये बिना उक्त विधिविरूद्ध स्वीकृत किये गये नामांतरकरण के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील को खारीज करने मे विधिक त्रुटि की है ।

इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेकर्ड पर रमेशचन्द्र के पूरा का गोदपुत्र होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य या सबूत उपलब्ध नही था फिर भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त नामांतरकरण संख्या 558 के विरूद्ध प्रस्तुत प्रथम अपील जो कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन मे नियमित कोर्ट मे चल रही थी तथा अपीलांट की ओर से उनके अधिवक्ता न्यायालय मे उपस्थित हो रहे थे, परंतु अपीलांट के अधिवक्ता को सूचित किये बिना ही पत्रावली को केम्प मे ले जाकर अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना तथा रेकर्ड पर उपलब्ध पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज को नजरअंदाज करते हुए एकतरफा अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया, जो न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तो के विपरीत होने से समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील के पैरा संख्या 3 मे यह उल्लेख किया था कि रमेशचन्द्र के पिता का नाम नवला है तथा रमेशचन्द्र नवलाजी का एकमात्र पुत्र है एवं नवलाजी के रमेशचन्द्र के अलावा कोई जायंदा संतान नही थी तो ऐसी स्थिति मे विधिवत रमेशचन्द्र मृत खातेदार पूराजी के गोद जा ही नही सकता था फिर भी रमेशचन्द्र को गोदीपुत्र की हैसियत से अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 558 भरा जाकर स्वीकृत कर दिया जो विधिविरूद्ध होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर विचार किये बिना अपीलांट की प्रथम अपील को खारीज करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो विधि एवं न्यायसंगत नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायसंगत नही है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मारवाड जंक्शन द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–7–2016 एवं अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 558 ग्राम ईसाली को निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार मारवाड जंक्शन को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलांट के पक्ष मे मृत खातेदार पूरा द्वारा निष्पादित पंजीबद्ध गोदनामे के दस्तावेज दिनांक 27–2–73 तथा अपीलांट के

अति० सम्भागीय आयुक्त जोधपुर

प्राकृतिक पिता रमेशचन्द्र को मृत खातेदार पूराजी द्वारा गोद लेने संबंधी कोई दस्तावेज उपलब्ध हो, उसकी जांच करे तथा ग्राम ईसाली स्थित मृत खातेदार पूराजी के खातेदारी के हिस्से की भूमि के संबंध मे पुनः नये सिरे से जांच पश्चातनामांतरकरण की विधिसम्मत कार्यवाही करें ।

निर्णय आज दिनांक 19–5–2022 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(ओ0 पी0 बिश्नोई)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर